

परिशिष्ट

परिशिष्ट- 1.1 पार्ट -ए
(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय				
ए. सामान्य आँकड़े				
क्र.सं.	विवरण			आँकड़ा
1	क्षेत्रफल			79714 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	(ए)	2001 के जनगणना में अनुपात		2.69 करोड़
	(बी)	2010-2011		3.30 करोड़
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय घनत्व 325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		338 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय घनत्व 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		414 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे का अनियमित संख्या* (अखिल भारतीय 27.5 प्रतिशत)			40.4 प्रतिशत
5	(ए)	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत 64.8%)		44 प्रतिशत
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत 74%)		67.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर*** (प्रति 1000 जीवित जन्म) आखिल भारतीय 50 प्रति 1000 जीवित जन्म			41
7	गिनी गुणांक***			
	(ए)	ग्रामीण (पूरे भारत-0. 30)		0.22
	(बी)	शहरी (पूरे भारत - 0.37)		0.35
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) चालू मूल्य पर 2011-12			124160 करोड़
9	स.रा.घ.उ.सी.ए.जी.आर ¹ (2002-03 से 2011-12)		झारखण्ड	11.87 प्रतिशत
			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.09 प्रतिशत
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.सी.ए.जी. आर. (2002-03 से 2011-12)		झारखण्ड	14.07 प्रतिशत
			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.46 प्रतिशत
11	जन संख्या वृद्धि (2002-03 से 2011-12)		झारखण्ड	19.13 प्रतिशत
			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.90 प्रतिशत
	ब.	वित्तीय आँकड़ा		
क्र. सं.		विवरण	आँकड़ा (प्रतिशत में)	
		सी.ए.जी.आर.	2002-03 से 2010-11	
			सामान्य श्रेणी राज्य	2002-03 से 2011-12
			झारखण्ड	झारखण्ड
1	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	16.86	18.31
2	बी.	स्वयं के कर राजस्व का	16.74	16.57
3	सी.	गैर कर राजस्व का	12.84	13.31
4	डी.	कुल व्यय का	14.58	15.50
5	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	21.25	15.46
6	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	15.41	16.17
7	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.00	14.56
8	एच.	वेतन एवं मजदूरी	13.43	19.87
9	आई	पेंशन	16.89	17.95

*सामान्य आँकड़ों का स्रोत : बी.पी.एल. (योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा, 61वें दौर) ** शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस.बुलेटिन जनवरी 2011), वित्तीय आँकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित हैं एवं *** गिनी गुणांक (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा व अनौपचारिक आकलन, 61वें दौर 2004-05 एम.आर.पी.)

गिनी गुणांक जनसंख्या पर आधारित आय के असमानता की माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक में आँका जाता है, शून्य के नजदीक होने पर असमानता कम तथा एक के नजदीक होने पर असमानता अधिक होगी।

¹ स.रा.घ.उ. सकल राज्य घरेलू उत्पाद

परिशिष्ट - 1.1 पार्ट -बी
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)
भाग ख: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं: (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिक निधि और (iii) लोक लेखा। भाग I: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और वाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे 'राज्य सरकार की संचित निधि' कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है। भाग II: आकस्मिक निधि: राज्य सरकार के आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं। भाग III: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।	
पार्ट -सी: वित्त लेखे की अभिन्यास	
विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिसम्पत्तियाँ प्रायः वित्तीय सम्पत्तियाँ होती हैं जिनका पूंजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिसम्पत्तियों को दर्शाती है। लेखांकन निति के अनुसार परिसम्पत्तियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती है।
विवरणी सं. 2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग - संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं. 3	यह विवरणी राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार, बाजार ऋण तथा सरकार को दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है।
विवरणी सं. 4	यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 5	यह प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है।
विवरणी सं. 6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष है और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं. 7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उधारकर्ता के ग्रुप के अनुसार) जिसे विवरणी 16 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 8	यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्ता संस्थान के ग्रुप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं. 9	सामविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमय व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तिओं का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.12	लघु शीर्षों द्वारा गैर-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरणी सं.13	वर्ष 2011-12 के दौरान और अंत में पूंजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.14	वर्ष 2011-12 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शेष के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाइल को दर्शाता है।
विवरणी सं.16	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2012 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.17	यह पूंजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तिओं, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट - 1.2 पार्ट -ए
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली
(संदर्भ: कडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

खण्ड-‘क’

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदण्डों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम (परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी) एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा का प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चलों का उत्प्लावकता को एफीसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रुझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति (स.रा.घ.उ.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये में)	83950(एफ)	87794(एफ)	96933(क्यू)	110769(ए)	124160(पी)
स.रा.घ.उ. की विकास दर	25.42	4.58	10.41	14.27	12.09
स्त्रोत : सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय झारखण्ड सरकार					

एफ=अन्तिम अनुमान, क्यू=तीव्र अनुमान, ए=अग्रिम अनुमान, पी=औपबंधिक अनुमान

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (x)	प्राचल की वृद्धि दर (x)/ प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/ $[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2)] * 100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ.वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज $[(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष}) / 2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर

परिशिष्ट- 1.2 पार्ट-बी
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007
(संदर्भ: कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 4)

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व घाटे का क्रमिक विलोपन, वित्तीय स्थायित्व के साथ ऋण प्रबंधन को उत्साहित करने, सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा मध्यावधि ढाँचे के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था को लागू करने तथा इससे संबंधित विषयों पर अधिनियम के सम्बन्ध में दूरदर्शिता सुनिश्चित करना है जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2012 के रूप में संशोधित की गई।

- राजस्व घाटे के लिए लक्ष्य: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के अन्त में शून्य
- राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य: स.रा.घ.उ. का 3 प्रतिशत -2011-12 से 2014-15

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
शेष ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	28.50%	27.8%	27.3%	26.90%
ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	25.00%	25.00%	25.00%	
स.रा.घ.उ. वृद्धि (ते.वि.आ.)	14.14%	14.50%		
स.रा.घ.उ. वृद्धि (एम.टी.एफ. पी.)	14.00%	14.00%		
स्वयं के कर-स.रा.घ.उ. अनुपात	5.4%	5.4%		
गैर ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	2.00%	2.00%		
ब्याज भुगतान	शेष उत्तरदायित्व के 10 वर्ष			
स.रा.घ.उ. में पूँजीगत परिव्यय की प्रतिशतता	3.15%	3.5%		

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ : कड़िका 1.1.1, 1.4 एवं 1.8.1; पृष्ठ 1, 8 एवं 29)

(₹ करोड़ में)

	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	12027(86)	13213(84)	15118(82)	18781(88)	22420(89)
(i) कर राजस्व	3474(29)	3753(28)	4500(30)	5717(30)	6954(31)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
विक्री, व्यापार आदि पर कर	2846(82)	2996(80)	3597(80)	4473(78)	5522(79)
राजस्व उत्पाद	157(5)	205(6)	323(7)	388(7)	457(7)
वाहनों पर कर	136(4)	202(6)	234(5)	312(6)	392(6)
मुद्रांक एवं पंजियन शुल्क	156(4)	192(5)	238(5)	328(6)	401(6)
भू-राजस्व	26(1)	53(1)	41(1)	131(2)	53(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	71(2)	54(1)	13	21	41(0)
अन्य कर	82(2)	51(1)	54(2)	64(1)	88 (1)
(ii) कर भिन्न राजस्व	1601(13)	1952(15)	2254(15)	2803(15)	3038(14)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	5110(42)	5392(41)	5547(37)	6154(33)	7170(32)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1842(15)	2116(16)	2817(18)	4107(22)	5258(23)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	44	19	22	24	24
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1 + 2+ 3)	12071	13232	15140	18805	22444
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2023(14)	2437(16)	3369(18)	2447(12)	2671(11)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़ कर)	2009	2434	3379	2315	2409
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	..	--	..	--	229
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	14	3	-10	132	33
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	14094	15669	18509	21252	25115
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	32	-	-	-	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	7013	8335	8242	7721	10813
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	21139	24004	26751	28973	35928
भाग-ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	10832(77)	12877(79)	15128(83)	17945(86)	20992(86)
योजना	2980(28)	3813(30)	3758(25)	6004(33)	7646(36)
गैर योजना	7852(72)	9064(70)	11370(75)	11941(67)	13346(64)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	4607(43)	4924(38)	6605(44)	6991(39)	7846(37)
सामाजिक सेवाएँ	4257(39)	5385(42)	5610(37)	6707(37)	7287(35)
आर्थिक सेवाएँ	1967(18)	2533 (20)	2913(19)	4247(24)	5859(28)
सहायता अनुदान एवं अंश दान	-	35	-	-	-
11. पूँजीगत व्यय	2584(19)	3051(19)	2703(15)	2664(13)	3159(13)
योजना	2558(99)	3015(99)	2682(99)	2621(98)	3111(98)
गैर योजना	26(1)	36(1)	21(1)	43(2)	48(2)
सामान्य सेवाएँ	108(4)	176(6)	112(4)	120(4)	156(5)
सामाजिक सेवाएँ	832(32)	1355(44)	825(31)	682(26)	866(27)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 1.3 क्रमशः...

आर्थिक सेवाएँ	1644(64)	1520(50)	1766(65)	1862(70)	2137(68)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	598(4)	418(3)	320(2)	308(1)	217(1)
13. कुल (10+11+12)	14014	16346	18151	20917	24368
14. लोक ऋण का पूनर्भुगतान	747	863	1190	1299	1639
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़ कर)	572(77)	716(83)	1068(90)	1063(82)	1406(86)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	9(1)	-	-	78(5)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	175(23)	138(16)	123(10)	236(18)	155(9)
15. आकस्मिकता से विनियोजन	-	-	-	-	शून्य
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+ 14 + 15)	14761	17209	19341	22216	26007
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	6206	7185	7290	7400	9728
19.राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	20967	24394	26631	29616	35735
भाग- ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(+1195)	(+336)	(-)10	(+)836	(+)1428
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)1943	(-)3114	(-)3011	(-)2112	(-)1924
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21+23)	(-)185	(-)1227	(-)704	(+)116	(+)343
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	1758	1887	2307	2228	2267
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1266	2366	2333	3122	4530
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	6
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	-	-	-	6
उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	0.03
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) @	83950	87794	96933	110769	124160
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	21615	24084	27165	28655	30664
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	530	500	500	-	-
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक)	25	247	262	167	182
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1616	1797	1466	1503	573
भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.1	4.3	4.6	5.2	5.6
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	1.9	2.2	2.3	2.5	2.4

परिशिष्ट - 1.3 क्रमशः...

केन्द्रीय अंतरण/स.रा.घ.उ.	8.3	8.6	8.6	9.3	10.0
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	16.7	18.6	18.7	18.9	19.6
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	116.5	123.7	120.1	111.4	108.7
राजस्व व्यय/कुल व्यय	77.3	78.8	83.3	85.8	86.1
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ. व अ. सहित) /कुल व्यय	40.6	43.8	37.2	36.8	34.3
आर्थिक सेवा पर व्यय(ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	30.0	27.4	27.5	30.7	33.7
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	18.4	18.7	14.9	12.7	13.0
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	17.7	17.6	14.3	12.2	12.3
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	1.4	0.4	0.0	0.8	1.2
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	-2.3	-3.5	-3.1	-1.9	-1.5
प्राथमिक घाटा(आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.2	-1.4	-0.7	*	*
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-61.5	-10.8	*	*	*
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स.रा.घ.उ.	3.5	2.5	2.4	2.8	3.0
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ.	25.7	27.4	28.0	25.9	23.9
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	179.7	182.3	179.7	152.6	132.2
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	3087.0	-1966.0	-270.0	980.0	1573.0
ऋण निर्माचन (मूलधन + ब्याज) / कुल ऋण प्राप्ति	-	5.4	3.1	4.3	3.9
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	शून्य	0.4	1.17
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2890	2625	2077	4014	6855
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	81	84	85	89	95

*राज्य में राजस्व आधिक्य होने के कारण प्रासंगिक नहीं है।

@ स.रा.घ.उ. का अंक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया।

कोष्ठ में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से अनुपात (पूर्णांक) दर्शाता है।

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए
वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ : कंडिका 1.2; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

भाग क : वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2010-11			2011-12	2010-11		गैर योजना	योजना	कुल	2011-12
	अनुभाग क: राजस्व								
18781.12	I. राजस्व प्राप्तियाँ		22419.45	17944.74	I. राजस्व व्यय	13345.30	7646.28	20991.58	20991.58
5716.63	कर राजस्व	6953.89		6990.80	सामान्य सेवाएं	7399.49	446.07	7845.56	
				6707.30	सामाजिक सेवाएं	3728.14	3558.89	7287.03	
2802.89	कर भिन्न राजस्व	3038.22		3802.26	शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2782.47	1273.42	4055.89	
				673.92	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	537.00	288.65	825.66	
6154.35	संधीय करों में राज्य के हिस्से	7169.93		437.49	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	225.19	243.54	468.72	
				28.15	सूचना एवं प्रसारण	35.64	12.02	47.66	
1281.40	गैर योजना अनुदान	1550.77		436.33	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	93.24	530.75	623.99	
1826.99	राज्य योजना हेतु अनुदान	2404.61		133.75	श्रम एवं श्रम कल्याण	41.28	85.96	127.44	
				1177.95	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	-4.92	1124.55	1119.63	
998.86	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	1302.03		17.5	अन्य	18.04		18.04	
				4246.47	आर्थिक सेवाएं	2217.67	3641.32	5858.99	
				820.99	कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाकलाप	337.89	642.71	980.60	
				1678.28	ग्रामीण विकास	421.81	1266.80	1688.61	
				-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				264.10	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	281.92	0.16	282.08	
				535.17	ऊर्जा	751.94	107.89	859.83	
				125.81	उद्योग एवं खनिज	42.17	168.99	211.16	
				202.27	परिवहन	316.90	513.08	829.98	

परिशिष्ट - 1.4 पार्ट-ए क्रमशः...

				-	विज्ञान, तकनीकि एवं पर्यावरण				
				619.85	सामान्य आर्थिक सेवाएं	65.04	941.69	1006.73	
				0.17	सहायता अनुदान एवं अंशदान				
				17944.74	कुल	13345.30	7646.28	20991.58	20991.58
	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			836.38	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य				1427.87
18781.12	कुल	22419.45		18781.12	कुल				22419.45
	अनुभाग ख								
640.91	III आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित				III रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट				
	IV विविध पूंजीगत प्राप्तियां			2664.30	IV पूंजीगत परिव्यय	47.88	3111.49	3159.37	3159.37
				120.04	सामान्य सेवाएं	47.83	107.73	155.56	
				681.88	सामाजिक सेवाएं		866.31	866.31	
				54.20	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		75.98	75.98	
				142.68	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		163.53	163.53	
				297.48	जलापूर्ति स्वच्छता, आवास और नगर विकास		422.61	422.61	
				-	सूचना एवं प्रसारण				
				187.52	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		204.20	204.20	
	अनुभाग ख अन्य (क्रमशः)								
				-	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार				
				-	अन्य				
				1862.38	आर्थिक सेवाएं	0.05	2137.44	2137.49	
				22.64	कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाकलाप		55.28	55.28	
				593.87	ग्रामीण विकास		849.88	849.88	
				-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				267.79	सिंचाई एवं बाढ़		399.31	399.31	

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 1.4 पार्ट-ए क्रमशः...

					नियंत्रण				
				-	ऊर्जा				
				1.10	उद्योग एवं खनिज				
				971.93	परिवहन		799.85	799.85	
				5.05	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.05	33.13	33.18	
				2664.30	कुल	47.88	3111.49	3159.37	
24.12	V ऋण एवं अग्रिम का वसूली		23.42	307.56	V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण		217.10	217.10	
	विद्युत परियोजना से			275.43	विद्युत परियोजना को		164.95	164.95	
20.79	सरकारी सेवको से	21.83		11.63	सरकारी सेवको को		18.11	18.11	
3.33	अन्य से	1.59		20.50	अन्य को		34.04	34.04	
836.38	VI नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		1427.87	-	VI नीचे लाया गया राजस्व घाटा				
2446.51	VII लोक ऋण प्राप्तियाँ		2671.23	1299.43	VII लोक ऋण पुर्नभुगतान				1639.01
	वाह्य ऋण	-	-	-	वाह्य ऋण				
2314.56	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	2409.51		1063.17	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			1406.36	
	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-		8.86	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन			151.25	
	ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-							
131.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	32.53		236.26	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पूर्णभुगतान			154.71	
-	VIII आकस्मिकता नीधि विनियोग		-	-	VIII आकस्मिकता नीधि विनियोग				
-	IX आकस्मिकता नीधि में स्थानान्तरित राशि			-	IX आकस्मिकता नीधि से व्यय				
7721.42	X लोक लेखा प्राप्ति		10813.40	7399.85	X लोक लेखा संवितरण				9727.77
571.73	लघु बचत एवं भविष्य निधि	613.38		467.08	लघु बचत एवं भविष्य निधि			543.74	
0.31	रक्षित निधि	138.58		223.50	रक्षित निधि			243.71	
181.39	उचन्त एवं विविध	305.76		211.63	उचन्त एवं विविध			231.63	
3298.20	प्रेषण	4520.03		3291.70	प्रेषण			4502.89	
3669.79	जमा एवं अग्रिम	5235.65		3205.94	जमा एवं अग्रिम			4205.80	

परिशिष्ट - 1.4 पार्ट-ए क्रमशः...

1.39	अन्तर्राज्यीय समायोजन				अन्तर्राज्यीय समायोजन				75.40
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			(-)0.41	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष				116.85
				-	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				
				(-)891.38	रिजर्व बैंक में जमा			93.85	
				11.78	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			18.59	
				-	चिन्हित निधि का निवेश				
				879.19	रोकड़ का निवेश			4.41	
30451.85	कुल		37354.96	30451.85	कुल				37354.96

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-बी
31 मार्च 2012 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ : कडिका 1.8.1 पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 को	दायित्व	31.03.2012 को
21131.39	आन्तरिक ऋण	22285.78
7845.07	ब्याज वाले बाजार ऋण	8630.39
0.17	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.17
6.30	भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30
3223.35	अन्य संस्थाओं से ऋण	3513.94
-	अर्थोपाय अग्रिम	151.25
10056.50	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9983.73
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	-
2167.20	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2024.41
1.33	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण	
12.06	गैर योजना ऋण	8.79
2118.67	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2015.62
1.24	केन्द्र योजनागत योजना हेतु ऋण	
19.36	केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु ऋण	
14.54	अन्य अर्थोपाय अग्रिम	
1.39	अन्तर्राज्यीय समायोजन	
150.00	आकस्मिकता निधि	150.00
1458.06	लघु बचत भविष्य निधि	1527.70
3350.17	जमा	4382.78
548.22	रक्षित निधि	443.10
-	अंतरण शेष	
4.33	उचंच एवं विविध शेष	78.47
28810.76	कुल	30892.24
	सम्पत्ति	
18371.55	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	21530.92
54.07#	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	101.86
18317.48	अन्य पूँजीगत परिव्यय	21429.06
	अन्तर्राज्यीय समायोजन	75.40
6996.47	ऋण एवं अग्रिम	7190.15
6418.56	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	6583.51
579.71	अन्य विकास ऋण	612.17

परिशिष्ट - 1.4 पार्ट-बी क्रमशः...

(-)1.80	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-5.53	
9.38	अग्रिम		12.14
-	उचंत एवं विविध शेष		
(-)0.41	नगद		116.85
	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	-	
(-)891.39	रिजर्व बैंक में जमा	93.85	
-	जमा निधि का निवेश		
11.79	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	18.59	
879.19	नगद शेष निवेश	4.41	
287.30	प्रेषण शेष		270.17
3146.47	सरकारी लेखे में घाटा		1696.61
836.38	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा	1427.87	
-	(ii) विविध घाटा		
3982.85	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/आधिक्य	3124.48	
28810.76			30892.24

निगम के खातों में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण छोड़कर बताया गया है।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतये या प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार आँकड़ों में विचलन या ह्रास वाली मदें इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। लेखे में प्रतिविम्बित आँकड़ों और 'रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आँकड़े जो समाशोधन की प्रक्रिया में था, के बीच ₹ 214.42 करोड़ (निवल खाता) का अंतर था।

परिशिष्ट 1.5

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ : कंडिका 1.5.7 पृष्ठ 20)

क्र. सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण, और पारिस्थितीकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर तबकों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; श्मशान एवं श्मशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट- 2.1

₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों विनियोग की विवरणी
(संदर्भ कंडिका 2.4.1 पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुमान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		राजस्व			
1	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	651.93	228.82	35
2	2	पशुपालन विभाग	139.61	31.53	23
3	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	31.34	10.80	34
4	12	वित्त विभाग	47.07	10.06	21
5	20	स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग	1094.23	277.93	25
6	23	उद्योग विभाग	353.13	157.41	45
7	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	851.70	193.07	23
8	27	विधि विभाग	207.96	44.23	21
9	35	योजना एवं विकास विभाग	499.32	291.79	58
10	39	आपदा प्रबंधन विभाग	487.61	266.88	55
11	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	328.98	79.15	24
12	42	ग्रामीण विकास विभाग	836.59	217.00	26
13	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	94.94	40.29	42
14	45	सूचना प्राद्यौगिकी विभाग	67.37	54.65	81
15	47	परिवहन विभाग	823.75	331.74	40
16	48	नगर विकास विभाग	359.55	94.66	26
17	49	जल संसाधन विभाग	308.42	83.77	27
18	50	लघु सिंचाई विभाग	81.05	19.04	23
19	51	कल्याण विभाग	935.19	309.14	33
20	52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	72.26	38.38	53
21	54	डेयरी	82.70	21.88	26
22	56	पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	1412.40	310.24	22
23	58	माध्यमिक शिक्षा	675.25	199.75	30
24	59	प्राथमिक एवं जन शिक्षा	3841.91	802.81	21
25	60	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	825.19	230.47	28
		पूँजी			
26	3	भवन निर्माण विभाग	75.70	26.12	35
27	10	ऊर्जा विभाग	1295.00	1130.05	87
28	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	15.00	10.00	67
29	20	स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग	341.25	177.72	52
30	30	अल्पसंख्यक कल्याण	160.43	89.97	56
31	41	पथ निर्माण विभाग	1696.60	899.94	53

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 2.1 क्रमशः...

32	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	85.48	52.27	61
33	47	परिवहन विभाग	15.63	12.44	80
34	48	नगर विकास विभाग	1003.56	816.06	81
35	49	जल संसाधन विभाग	911.30	714.70	78
36	50	लघु सिंचाई विभाग	656.70	438.93	67
37	51	कल्याण विभाग	168.10	34.36	20
38	58	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	35.00	18.00	51
कुल			21569.20	8766.05	

परिशिष्ट- 2.2

वर्ष 2011-12 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 10 करोड. एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण
संदर्भ कंडिका 2.4.1 पृष्ठ 41)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि (₹ करोड. में)	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401-00-796-19	25.20	25.16	सूचना अप्राप्त
2		2401-00-796-28	45.90	45.90	सूचना अप्राप्त
3		2401-00-796-59	10.00	10.00	सूचना अप्राप्त
4	10 ऊर्जा विभाग	2801-01-796-02	38.50	38.50	सूचना अप्राप्त
5		2801-01-800-02	61.60	61.60	सूचना अप्राप्त
6		2801-80-800-05	130.00	130.00	सूचना अप्राप्त
7		2801-80-800-09	10.00	10.00	सूचना अप्राप्त
8		6801-00-789-03	13.50	13.26	प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण
9		6801-00-796-03	52.50	51.55	प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण
10		6801-00-800-01	36.40	15.54	निधि का अधिक प्रावधान
11		6801-00-800-03	84.00	82.50	प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण
12		6801-00-789-07	40.50	40.50	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप अप्राप्त
13		6801-00-796-07	157.50	157.50	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप अप्राप्त
14		6801-00-800	150.00	150.00	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप अप्राप्त
15		6801-00-800-07	252.00	252.00	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप अप्राप्त
16		6801-00-800-12	350.00	350.00	तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से डी पी आर अप्राप्त
17	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-08	17.00	17.00	सूचना अप्राप्त
18		4210-02-103-07	12.00	11.65	सूचना अप्राप्त
19		4210-02-796-35	15.00	14.87	सूचना अप्राप्त
20		4210-02-796-36	15.00	12.39	सूचना अप्राप्त
21	22 गृह विभाग	2055-00-115-67	201.65	85.99	सूचना अप्राप्त
22	23 उद्योग विभाग	2851-00-796-29	14.00	12.22	गलत प्राथमिक इकाई में निधि का आवंटन
23		2852-80-102-03.	14.00	12.00	गलत प्राथमिक इकाई में निधि का आवंटन
24		2852-80-796-10	46.00	42.17	गलत प्राथमिक इकाई में निधि का आवंटन
25		2852-80-796-52	15.00	12.83	गलत प्राथमिक इकाई में निधि का आवंटन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 2.2 क्रमशः...

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि (₹ करोड. में)	विनियोग लेखों के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
26	35 योजना एवं विकास विभाग	2053-00-796-11	51.73	50.00	योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण
27		2235-02-102-01	54.44	43.79	सूचना अप्राप्त
28		2235-02-796-01	54.00	40.90	सूचना अप्राप्त
29		3454-02-800-11	84.33	84.33	योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण
30		3454-02-800-15	12.50	12.50	योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण
31	39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-102-02	105.00	32.39	सूचना अप्राप्त
32		2245-02-101-02	25.50	24.72	सूचना अप्राप्त
33		2245-05-101-05	204.32	102.16	सूचना अप्राप्त
34		2245-05-101-06	68.10	34.05	सूचना अप्राप्त
35		2245-01-101-01.	10.00	10.00	जिलों से माँग अप्राप्त
36		2245-01-101-02	20.00	20.00	जिलों से माँग अप्राप्त
37	41 पथ निर्माण विभाग	5054-03-101-01	29.00	16.29	सूचना अप्राप्त
38		5054-03-337-01	444.00	326.96	सूचना अप्राप्त
39		5054-03-796-01	865.60	458.83	सूचना अप्राप्त
40		5054-03-337-08	85.00	44.45	सूचना अप्राप्त
41		5054-03-796-03	45.00	32.11	सूचना अप्राप्त
42		5054-03-796-08	215.00	157.47	सूचना अप्राप्त
43	42 ग्रामीण विकास विभाग	2515-06-796-01	34.43	22.08	सूचना अप्राप्त
44		2515-00-800-04.	21.39	15.63	सूचना अप्राप्त
45		2505-01-702-02	54.00	12.48	सूचना अप्राप्त
46		2505-01-796-02	69.00	24.78	सूचना अप्राप्त
47		2505-01-796-04	71.00	11.46	सूचना अप्राप्त
48		2515-00-102-29	14.40	14.35	सूचना अप्राप्त
49		2515-00-796-29	18.40	18.05	सूचना अप्राप्त
50		4515-00-103-10	118.09	13.38	सूचना अप्राप्त
51		4515-00-796-10	159.78	19.24	सूचना अप्राप्त
52	47 परिवहन विभाग	3075-60-101-02	80.00	80.00	सूचना अप्राप्त
53		3075-60-796-02	120.00	120.00	सूचना अप्राप्त
54		3055-00-109-01	62.23	26.38	सूचना अप्राप्त
55		3075-60-796-01	332.15	100.00	योजना उद्व्यय में कटौती
56	48 नगर विकास विभाग	2217-80-191-29.	10.00	10.00	केन्द्र सरकार से निधि अप्राप्त
57		2217-80-192-08	25.95	25.95	केन्द्र सरकार से निधि अप्राप्त
58		2217-80-193-08.	10.00	10.00	केन्द्र सरकार से निधि अप्राप्त केन्द्रांश
59		4217-60-190-31	16.35	15.61	केन्द्रांश का कम आवंटन
60		4217-60-191-19	20.00	20.00	योजना उद्व्यय में कटौती
61		4217-60-191-20	20.00	20.00	योजना उद्व्यय में कटौती

परिशिष्ट - 2.2 क्रमशः...

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि (₹ करोड. में)	विनियोग लेखों के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
62	48 नगर विकास विभाग	4217-60-190-21	47.00	47.00	सूचना अप्राप्त
63		4217-60-190-07	47.00	47.00	सूचना अप्राप्त
64		4217-60-796-30	100.00	94.37	योजना उद्व्यय में कटौती
65		4217-60-796-36	110.00	79.94	योजना उद्व्यय में कटौती
66		4217-60-191-14	463.00	375.00	योजना उद्व्यय में कटौती
67		4217-60-191-23	70.00	51.83	केन्द्र सरकार द्वारा योजना की संस्वीकृति अप्राप्त
68		4217-60-789-33	20.00	10.49	योजना की संस्वीकृति अप्राप्त
69	49 जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	120.81	21.46	सूचना अप्राप्त
70		2700-03-001-06	53.82	12.66	सूचना अप्राप्त
71		2700-03-001-07	89.88	15.76	सूचना अप्राप्त
72		2700-03-001-08	24.67	24.67	सूचना अप्राप्त
73		4700-80-796-10	300.00	241.07	सूचना अप्राप्त
74		4701-789-69	14.10	14.10	सूचना अप्राप्त
75		4701-80-796-73	90.90	86.31	सूचना अप्राप्त
76		4700-80-789-10	240.00	240.00	सूचना अप्राप्त
77		4701-80-800-70	31.40	31.40	सूचना अप्राप्त
78	50 लघु सिंचाई विभाग	4702-00-101-28	25.00	20.15	सूचना अप्राप्त
79		4702-00-101-33	250.00	186.71	सूचना अप्राप्त
80		4702-00-796-28	25.00	25.00	सूचना अप्राप्त
81		4702-00-101-30	250.00	133.41	सूचना अप्राप्त
82		4702-00-789-29	37.70	37.70	सूचना अप्राप्त
83	51 कल्याण विभाग	2225-01-796-01	207.34	115.48	सूचना अप्राप्त
84		4225-02-796-08	125.40	12.76	सूचना अप्राप्त
85	56 पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-109-01	108.49	35.94	सूचना अप्राप्त
86		2515-00-196-03	11.20	11.20	पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती
87		2515-00-101-15	142.45	70.03	योजना उद्व्यय में कटौती
88		2515-00-197-03.	11.20	11.20	पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती
89		2215-00-198-02	21.00	21.00	केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृति अप्राप्त/अविमुक्त
90		2215-00-198-03	33.59	33.59	पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती
91		2215-00-789-15	51.69	16.25	योजना उद्व्यय में कटौती
92		2215-00-796-15	149.42	72.65	योजना उद्व्यय में कटौती
93		2215-00-796-28	80.00	15.00	निधि का अधिक प्रावधान
94	58 माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	366.80	87.18	सूचना अप्राप्त
95		2202-02-109-35	10.53	10.53	सूचना अप्राप्त
96		2202-02-109-36	15.44	15.44	सूचना अप्राप्त

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 2.2 क्रमशः...

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि (₹ करोड. में)	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
97	58 माध्यमिक शिक्षा	2202-02-796-35	11.60	11.60	सूचना अप्राप्त
98		2202-02-796-36	10.56	10.56	सूचना अप्राप्त
99		4202-01-796-03.	11.00	11.00	सूचना अप्राप्त
100	59 प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	2095.13	283.93	निधि का अधिक प्रावधान
101		2202-01-101-03	167.10	71.97	सूचना अप्राप्त
102		2202-01-101-05 (सी.एस.एस)	78.00	59.45	सूचना अप्राप्त
103		2202-01-101-05 (योजना)	27.90	27.18	सूचना अप्राप्त
104		2202-01-789-03 (सी.एस.एस)	68.70	51.10	सूचना अप्राप्त
105		2202-01-789-03 (योजना)	22.90	12.58	सूचना अप्राप्त
106		2202-01-796-04	157.20	56.44	सूचना अप्राप्त
107		2202-01-796-05 (सी.एस.एस)	83.85	56.59	सूचना अप्राप्त
108		2202-01-796-27	40.00	18.88	सूचना अप्राप्त
109		2202-01-789-25	72.00	72.00	सूचना अप्राप्त
110		2202-01-796-05 (योजना)	26.00	26.00	सूचना अप्राप्त
111	60 समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-102-51	81.00	19.14	निधि का अधिक प्रावधान
112		2235-02-796-51	90.00	22.15	सूचना अप्राप्त
113		2235-02-103-59	47.70	47.70	निधि का आहरण नहीं
114		2235-02-796-59	60.30	60.30	निधि का आहरण नहीं
कुल			12333.71	6968.32	

परिशिष्ट- 2.3
पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ कंडिका 2.4.4 पृष्ठ 43)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़.में)
2001-02	3	भवन निर्माण विभाग	*
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	**
2001-02	32	विधायिका	0.04
2002-03	10	ऊर्जा विभाग	7.00
2002-03	13	ब्याज संदाय	472.46
2002-03	14	ऋण की वापसी/अदायगी	761.96
2002-03	32	विधायिका	0.08
2003-04	10	ऊर्जा विभाग	9.63
2003-04	13	ब्याज संदाय	191.28
2003-04	14	ऋण की वापसी/अदायगी	674.72
2003-04	39	सहायक और पुर्नवास विभाग	61.33
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	13	ब्याज संदाय	365.80
2004-05	14	ऋण की वापसी/अदायगी	133.44
2004-05	23	उद्योग विभाग	7.49
2004-05	39	सहायक और पुर्नवास विभाग	69.34
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2005-06	10	ऊर्जा विभाग	2628.94
2005-06	13	ब्याज संदाय	492.53
2005-06	29	खनन एवं भूतत्व विभाग	#
2006-07	13	ब्याज संदाय	833.58
2006-07	14	ऋण की वापसी/अदायगी	412.28
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2007-08	14	ऋण की वापसी/अदायगी	229.64
2007-08	15	पेंशन	104.80
2008-09	12	वित्त विभाग	137.13
2008-09	14	ऋण की वापसी/अदायगी	91.76
2009-10	14	ऋण की वापसी/अदायगी	116.71
2010-11	13	ब्याज संदाय	67.35
2010-11	15	पेंशन	250.95
2010-11	32	विधायिका	0.10
कुल			8120.63

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

* नियमितीकरण आवश्यक नहीं क्योंकि यह विनियोग अधिनियम एवं माँग अनुसूची के पूँजीगत खण्ड के प्रावधानों के अधीन अन्तर्निहित की गई जो भूलवश राजस्व खण्ड में सन्निहित कर दी गई थी।

* केवल ₹ 8,807 आधिक्य राशि थी।

@ केवल ₹ 1,072 आधिक्य राशि थी।

केवल ₹ 49,670 आधिक्य राशि थी।

\$ केवल ₹ 81,665 आधिक्य राशि थी।

परिशिष्ट 2.4

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए
(संदर्भ कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 44)

(₹ लाख में)

क्र.सं	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	क - राजस्व (भारित)				
1	5 राज्यपाल सचिवालय	618.85	589.98	28.87	87.76
2	13 ब्याज संदाय	239486.66	226707.67	12778.99	925.68
3	16 राष्ट्रीय बचत	255.62	237.18	18.44	21.53
4	34 झारखण्ड लोक सेवा आयोग	484.20	438.67	45.53	130.00
5	28 झारखण्ड का उच्च न्यायालय	3747.54	3686.28	61.26	469.82
	कुल राजस्व (भारित)	244592.87	231659.78	12933.09	1634.79
	राजस्व (दत्तमत)				
6	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	62560.35	42310.54	20249.81	2632.17
7	2-पशुपालन विभाग	13098.95	10809.30	2289.65	862.26
8	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	2111.29	2054.57	56.72	1022.85
9	10-ऊर्जा विभाग	107418.31	87688.73	19729.58	280.50
10	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	1742.03	1639.13	102.90	136.85
11	12 वित्त विभाग	4245.70	3701.09	544.61	461.46
12	17 वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	5617.83	5073.16	544.67	580.05
13	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	24696.82	22020.28	2676.54	2543.72
14	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	108602.23	81629.79	26972.44	820.85
15	23- उद्योग विभाग	22690.45	19572.08	3118.37	12622.94
16	25 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	384.09	151.85	232.24	10.65
17	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	82104.43	65862.58	16241.85	3065.35
18	27 विधि विभाग	17694.46	16372.47	1321.99	3101.37
19	29 खनन एवं भूतत्व विभाग	2626.40	1848.42	777.98	43.83
20	33 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1371.76	1229.41	142.35	180.34
21	35- योजना एवं विकास विभाग	23061.20	20753.63	2307.57	26870.98
22	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	19099.80	18681.59	418.21	288.97
23	38 निबंधन विभाग	1830.94	1136.34	694.60	253.00
24	39 आपदा प्रबंधन विभाग	36260.89	22072.42	14188.47	12500.00
25	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	31785.13	24982.22	6802.91	1112.52
26	42 ग्रामीण विकास विभाग	83637.42	61958.94	21678.48	21.52
27	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	7129.24	5465.16	1664.08	2364.49
28	45 सूचना प्राद्यौगिकी विभाग	6180.50	1272.18	4908.32	556.29
29	46 पर्यटन विभाग	878.50	802.09	76.41	160.75
30	47- परिवहन विभाग	51365.64	49200.30	2165.34	31009.00
31	48 नगर विकास विभाग	30702.36	26488.65	4213.71	5252.52
32	49- जल संसाधन विभाग	30753.24	22464.88	8288.36	88.89
33	50 लघु सिंचाई विभाग	8090.96	6201.72	1889.24	14.40
34	51- कल्याण विभाग	75097.65	62604.86	12492.79	18421.56
35	52 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	6483.41	3388.45	3094.96	743.02
36	54 डेयरी	8243.19	6081.93	2161.26	26.50
37	56 पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	127229.76	110216.29	17013.47	14010.18
38	58 माध्यमिक शिक्षा	62916.37	47549.82	15366.55	4608.39

परिशिष्ट - 2.4 क्रमशः...

39	60 समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	80557.11	59472.31	21084.80	1962.05
कुल राजस्व (दत्तमत)		1148268.41	912757.18	235511.23	148630.22
कुल राजस्व		1392861.28	1144416.96	248444.32	150265.01
पूंजी (दत्तमत)					
40	22 गृह विभाग	11835.20	10623.53	1211.67	342.10
41	30 अल्पसंख्यक कल्याण	10850.11	7045.65	3804.46	5192.93
42	41- पथ निर्माण विभाग	169160.00	79666.21	89493.79	500.00
43	43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	7567.00	3320.45	4246.55	980.86
44	46 पर्यटन विभाग	1890.00	1842.20	47.80	87.00
45	47 परिवहन विभाग	1475.00	318.96	1156.04	88.00
कुल पूंजी (दत्तमत)		202777.31	102817.00	99960.31	7190.89
कुल पूंजी		202777.31	102817.00	99960.31	7190.89
सकल योग		1595638.59	1247233.96	348404.63	157455.90

परिशिष्ट - 2.5
निधि का अधिक्त्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका - 2.4.6; पृष्ठ 44)

(₹ लाख में)

क्र.सं	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ अधिक्त्य (+)
1	10 ऊर्जा विभाग	3451-00-090-13	2	1.5	-5.72
2	11 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2039-00-001-04	0.65	0	-13.26
3	17 वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040-00-101-02	25	30	-45.13
4	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2251-00-090-07	22.39	0	-4.62
5	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-04	118.39	0	-21.07
6	39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-80-102-01	250	0	-2.8
7	41 पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-02	8	0	-21.65
8		3054-80-001-08	3	0	-6.31
9	46 पर्यटन विभाग	3452-80-001-01	1.5	8	-1.11
10	56 पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-196-01	280	0	-207.67
11		2515-198-01	839.75	0	-165.59
			1550.68	39.5	-494.93
12	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-101-05	0	236.61	188.08
13		2235-03-101-06	0	150.12	15.61
14		2235-03-796-04	0	53.38	66.72
15		2235-03-796-05	0	747.48	99.63
16	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-02	9.05	90.2	2.25
17		2215-01-101-01	0	9.65	11.6
18		2215-01-102-02	0.2	2	58.62
19		2215-02-105-01	0	25	4.2
20	18 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3451-00-090-11	0	1.9	4.03
			9.25	1316.34	450.74
21	13 ब्याज संदाय	2049-60-701-01	285.00	0	13.46
22	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-101-03	386.72	0	42.69
23		2235-03-489-03	50.00	0	9.48
24		2235-03-796-03	973.26	0	46.95
25	5 राज्यपाल सचिवालय	2012-03-090-01	5.57	0	34.62
			1700.55	0	147.20

परिशिष्ट- 2.6
वास्तविक बचत से अधिक राशि (प्रत्येक मामलों में ₹ 50 लाख अधिक)
(संदर्भ कंडिका 2.4.7 पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विनिर्माण	बचत	अस्मर्पित राशि	आधिक्य आपूर्तित राशि
	राजस्व दत्तमत				
1	5 राज्यपाल सचिवालय	7.07	1.17	1.31	0.14
	कुल राजस्व दत्तमत	7.07	1.17	1.31	0.14
	राजस्व मतदेय				
2	10 ऊर्जा विभाग	1076.99	200.10	200.63	0.53
3	23 उद्योग विभाग	353.13	157.41	157.91	0.50
4	27 विधि विभाग	207.96	44.23	44.54	0.31
5	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	193.89	7.07	7.24	0.17
	कुल राजस्व मतदेय	1831.97	408.81	410.32	1.51
	कुल राजस्व	1839.04	409.98	411.63	1.65
	पूँजी मतदेय				
6	41 पथ निर्माण विभाग	1696.60	899.94	912.14	12.20
	कुल पूँजी मतदेय	1696.60	899.94	912.14	12.20
	सकल कुल(राजस्व एवं पूँजी)	3535.64	1309.92	1323.77	13.85

परिशिष्ट- 2.7
₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी
(संदर्भ कंडिका 2.4.8 पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं सं.या	बचत	अभ्यर्पण	बचत को अभ्यर्पित नहीं हुई
1	2	3	4	5
	राजस्व			
1	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	228.82	48.62	180.20
2	2 पशुपालन विभाग	31.52	8.04	23.48
3	13 ब्याज संदाय	137.05	33.12	103.93
4	18 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	168.01	139.23	28.78
5	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	277.93	238.21	39.72
6	22 गृह विभाग	256.17	188.44	67.73
7	26 श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	193.07	188.59	4.48
8	29 खनन एवं भूतत्व विभाग	8.22	2.46	5.76
9	35 योजना एवं विकास विभाग	291.79	281.62	10.17
10	38 निर्बंधन विभाग	9.48	3.45	6.03
11	39 आपदा प्रबंधन विभाग	266.88	126.23	140.65
12	40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	79.15	75.35	3.80
13	41 पथ निर्माण विभाग	18.02	10.56	7.46
14	42 ग्रामीण विकास विभाग	217.00	188.14	28.86
15	47 परिवहन विभाग	331.74	330.35	1.39
16	48 शहरी विकास विभाग	94.66	90.03	4.63
17	49 जल संसाधन विभाग	83.77	75.56	8.21
18	50 लघु सिंचाई विभाग	19.04	17.02	2.02
19	51 कल्याण विभाग	309.14	67.81	241.33
20	52 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	38.38	36.28	2.10
21	56 पंचायती राज एवं एनओआरआईपीओ (विशेष प्रमंडल) विभाग	310.24	299.17	11.07
22	57 आवास विभाग	1.55	0.23	1.32
23	58 माध्यमिक शिक्षा	199.75	150.10	49.65
24	59 प्राथमिक एवं जन शिक्षा	802.81	164.14	638.67
25	60 समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	230.47	202.37	28.10
	पूँजी			
1	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	1.00	0.00	1.00
2	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	177.72	172.41	5.31
3	22 गृह विभाग	15.54	11.79	3.75
4	30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	89.97	80.48	9.49
5	42 ग्रामीण विकास विभाग	47.71	40.77	6.94
6	46 पर्यटन विभाग	1.35	0.75	0.60
7	48 शहरी विकास विभाग	816.06	674.20	141.86
8	49 जल संसाधन विभाग	714.70	620.80	93.90
9	50 लघु सिंचाई विभाग	438.93	417.22	21.71
10	51 कल्याण विभाग	34.36	17.26	17.10
11	55 ग्रामीण कार्य विभाग	48.33	33.96	14.37
	कुल	6990.33	5034.76	1955.57

परिशिष्ट- 2.8

30 और 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि के मामले
(संदर्भ कंडिका 2.4.8 पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं सं.	लेखा -शीर्ष	राशि
1	10 ऊर्जा विभाग	2801-80-800-07	97.50
2		2801-01-796-02	28.88
3		2801-01-800-02	46.20
4		6801-00-800-12	350.00
5		6801-00-800-05	150.00
6		6801-00-789-03	13.26
7		6801-00-796-03	51.56
8		6801-00-800-03	82.50
9		6801-00-789-07	40.50
10		6801-00-796-07	157.50
11		6801-00-800-07	252.00
12		6801-00-800-01	15.54
13	13 ब्याज संदाय	2049-01-200-02	11.85
14	14 ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-109-08	10.81
15	18 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-02	11.87
16		3456-00-796-19	14.25
17	19 वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-105-38	12.15
18	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-08	17.00
19		2211-00-101-01	122.64
20		4210-02-796-48	24.10
21		4210-02-796-36	12.39
22		4210-02-796-35	14.88
23		4210-02-110-31	11.65
24	21 उच्च शिक्षा	2202-03-102-15	13.68
25	22 गृह विभाग	2055-00-109-01	96.22
26		2055-00-104-02	16.05
27	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-101-02	13.52
28	27 विधि विभाग	2014-00-105-05	16.52
29	30 अल्पसंख्यक कल्याण	4225-80-796-12	17.32
30		4225-80-796-08	46.46
31	35 योजना एवं विकास विभाग	2053-00-800-15	12.50
32		2053-00-800-11	84.33
33		2053-00-796-11	50.00
34		2235-02-796-01	39.18
35		2235-02-102-01	43.79
36	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-02	13.64
37	39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-101-02	24.73
38		2245-01-102-02	32.40

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 2.8 क्रमशः...

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं सं.	लेखा -शीर्ष	राशि
39	39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-02	20.00
40	40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-102-15	11.05
41	42 ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-800-01	14.79
42		2501-06-796-01	18.83
43		2505-02-796-04	11.46
44		2505-01-796-02	24.78
45		2505-01-702-02	12.48
46		2515-00-796-29	18.05
47		2515-00-102-29	14.35
48		4515-00-796-10	18.28
49		4515-00-103-10	11.56
50	47 परिवहन विभाग	3055-00-190-01	26.38
51		3075-60-796-02	120.00
52		3075-60-101-02	80.00
53	48 नगर विकास विभाग	2217-80-193-08	10.00
54		2217-80-192-08	25.96
55		2217-80-191-29	10.00
56		4217-60-796-36	14.94
57		4217-60-796-30	38.32
58		4217-60-789-33	10.49
59		4217-60-190-31	15.61
60	49 जल संसाधन विभाग	4701-80-796-73	47.26
61		4700-80-796-10	26.88
62		2701-03-001-08	24.67
63		2701-03-001-07	12.23
64		2701-03-001-06	11.62
65		2700-01-001-02	19.35
66	50 लघु सिंचाई विभाग	4702-00-796-30	32.22
67		4702-00-101-33	16.69
68	56 पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-001-03	35.28
69		2515-00-198-02	21.00
70		2515-00-198-03	25.19
71	58 माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	40.39
72		4202-01-796-03	11.00
73	59 प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	157.60
74	60 समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-796-59	60.30
75		2235-02-796-51	13.21
76		2235-02-103-59	47.70
77		2235-02-102-51	19.15
78		2236-02-789-02	13.64
79		2236-02-101-02	20.75
कुल			3252.83

परिशिष्ट- 2.9
वर्ष के अंत में व्यय की वेग
(संदर्भ कंडिका 2.4.9 पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	लेखे शीर्ष	जनवरी से मार्च 2012 तक व्यय	मार्च 2012 में व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत सकल	
						जनवरी से मार्च 2012	मार्च 2012
1	17 वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040	26.15	20.48	50.2	52	41
2	37 राजभाषा विभाग	2053	237.77	190.32	331.57	72	57
3	52 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	2204	22.28	19.74	29.48	76	67
4	24 सूचना और जन संपर्क विभाग	2220	30.52	25.00	47.66	64	52
5	51 कल्याण विभाग	2225	397.79	336.03	623.99	64	54
6	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230	88.97	78.26	127.44	70	61
7	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401	211.34	165.14	303.7	70	54
8	54 डेयरी	2404	50.32	35.12	60.82	83	58
9	53 मत्स्य	2405	26.61	22.61	37.56	71	60
10	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2415	60.83	34.69	84.75	72	41
11	9 सहकारिता विभाग	2425	104.06	96.16	138.48	75	69
12	42 ग्रामीण विकास विभाग	2505	122.01	95.23	232.83	52	41
13	42 ग्रामीण विकास विभाग	2515	889.36	778.33	1389.17	64	56
14	10 ऊर्जा विभाग	2810	35.00	35.00	35.00	100	100
15	23 उद्योग विभाग	2851	66.24	43.61	107.46	62	41
16	23 उद्योग विभाग	2852	57.8	54.64	86.34	67	63
17	8 नागर विमानन विभाग	3053	66.47	66.43	66.67	100	100
18	47 परिवहन विभाग	3075	450.25	450.25	450.25	100	100
19	22 गृह विभाग	4055	93.67	60.91	105.19	89	58
20	52 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	4202	55.53	48.07	75.98	73	63
21	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	101.72	70.22	163.53	62	43
22	48 नगर विकास विभाग	4217	162.62	160.86	176.09	92	91
23	30 अल्पसंख्यक कल्याण	4225	193.26	169.07	204.2	95	83
24	9 सहकारिता विभाग	4425	20.03	20.03	26.08	77	77
25	49 जल संसाधन विभाग	4701	64.75	49.35	85.97	75	57
26	41 पथ निर्माण विभाग	5054	532.05	359.17	796.66	67	45

परिशिष्ट- 2.10
लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत कार्यक्रम निधियों का बजट
(संदर्भ कंडिका 2.6 पृष्ठ 46)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना/ गैर योजना/ सी एस एस/ सी पी एस	वर्गीकरण	उप-शीर्ष/उद्देश्य	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)
1	1	योजना	2401-800-09	विभागीय आधारभूत संरचनाओं का विकास	109-किसानों का प्रशिक्षण एवं विस्तारीकरण	6.65
2	10	योजना	2801-01-800-10	ग्राम विद्युतीकरण	001- प्रशासन एवं निर्देशन के अन्तर्गत 06-ग्राम विद्युतीकरण	5.60
3	10	योजना	2801-80-800-07	परामर्शदाता एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) जेएसईबी के अनुगामी कंपनी को सहायता के लिए अनुदान	004-शोध एवं विकास	130.00
4	10	योजना	2801-80-800-08	परामर्शदाता एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) ऊर्जा दक्षता संरक्षण/परामर्शदाता	004- शोध एवं विकास	4.50
5	19	योजना	2406-01-800-13	नगर विकास एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण	102-सामाजिक एवं वाणिज्यिक फार्म	17.97
6	20	योजना	2210-03-800-14	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	110- औषधालय	5.00
7	20	योजना	2210-03-800-15	एन आर एच एम (राज्यांश)	110- औषधालय	90.00
8	20	योजना	4210-02-800-03	आयुष कार्यक्रम हेतु भवन निर्माण	110- औषधालय	0.34
9	42	योजना	2053-00-800-10	मुख्यमंत्री विकास योजना	094- अन्य स्थापना	24.64
10	42	योजना	2501-06-800-01	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	101-एस जी एस वाइ	21.39
11	42	योजना	2501-06-800-04	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	101- एस जी एस वाइ	9.60
12	42	योजना	2501-06-800-05	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	101- एस जी एस वाइ	19.80
13	42	योजना	2501-06-800-06	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	101- एस जी एस वाइ	0.48
14	43	योजना	2203-00-800-46	राज्य शिक्षा परिषद्	103- आई टी आई	0.03
15	58	योजना	2202-02-800-04	सैनिक स्कूल, तिलैया	110- गैर-सरकारी विद्यालय	0.42
कुल						336.42

परिशिष्ट- 3.1
चयनित विभागों में बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए सी विपत्र)
(संदर्भ कंडिका 3.1 एवं 3.2 पृष्ठ 50 एवं 51)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मानव संसाधन विकास		गृह		ग्रामीण विकास		चयनित विभागों का कुल	
	ए सी विपत्र की राशि	बकाया राशि	ए सी विपत्र की राशि	बकाया राशि	ए सी विपत्र की राशि	बकाया राशि	ए सी विपत्र की राशि	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	(2+4+6)	(3+5+7)
2009-10	73.24 (94)	70.30 (87)	156.50 (291)	90.00 (210)	145.81 (149)	88.30 (140)	375.55 (534)	248.60 (437)
2010-11	54.14 (54)	43.97 (49)	68.96 (97)	15.68 (60)	183.46 (206)	136.68 (192)	306.56 (357)	196.33 (301)
2011-12	678.88 (43)	665.50 (37)	242.05 (79)	223.15 (66)	128.23 (106)	123.14 (102)	1049.16 (228)	1011.79 (205)
कुल	806.26 (191)	779.77 (173)	467.51 (467)	328.83 (336)	457.50 (461)	348.12 (434)	1731.27 (1119)	1456.72 (943)

स्रोत: वी.एल.सी.डाटाबेस (10 सितम्बर, 2012 को बकाया स्थिति)

* कोष्ठक में आँकड़े ए.सी. विपत्र की संख्या को प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट- 3.2
वर्ष 2009-12 के दौरान ए सी विपत्र (नमूना जॉच) से निधियों का आहरण
(संदर्भ कंडिका 3.3 एवं 3.7 पृष्ठ 52 एवं 55)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम	विभाग	क्रम सं.	उद्देश्य/योजना	विपत्रों की संख्या	राशि
फ्लैगशीप कार्यक्रम	मानव संसाधन विकास	1	सर्व शिक्षा अभियान*	6	607.00
	मानव संसाधन विकास	2	मध्याह्न भोजन योजना	24	47.79
	मानव संसाधन विकास	3	साक्षर भारत कार्यक्रम	1	4.00
	गृह	4	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	15	274.96
कुल (क)				46	933.75
राज्य योजना	मानव संसाधन विकास	5	विद्यालय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम	1	0.03
	ग्रामीण विकास	6	एम एल ए - एल ए डी योजना	54	99.76
कुल (ख)				55	99.79
अन्य योजना/पूँजीगत व्यय	ग्रामीण विकास	7	इन्दिरा आवास योजना, हरिजन बस्ती इत्यादि के अन्तर्गत निर्माण कराये गये मकानों का मरम्मत,	3	0.43
	ग्रामीण विकास	8	प्रखण्डों के लिये वाहनों की खरीद	3	0.60
	गृह	9	कारागार में निर्माण कार्य एवं पुलिस बल को बुनियादी सुविधा प्रदान करने हेतु योजना	87	32.31
	मानव संसाधन विकास	10	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूलभूत ढाँचा के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु भवन निर्माण	9	12.88
	मानव संसाधन विकास	11	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें	3	8.00
	मानव संसाधन विकास	12	राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय का स्थापना लागत	3	25.00
	मानव संसाधन विकास	13	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को पुरस्कार	3	0.04
	मानव संसाधन विकास	14	शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु संगोष्ठी एवं परिसंवाद	1	0.01
	ग्रामीण विकास	15	पंचायत भवन का निर्माण	3	0.14
	ग्रामीण विकास	16	प्रखण्ड भवन का मरम्मत एवं निर्माण	4	4.05
कुल (ग)				119	83.46
कोषागारों द्वारा ए सी विपत्र के रूप में अंकित किये गये अनुदान	मानव संसाधन विकास	17	निर्धनता सह मेधा छात्रवृत्ति योजना	1	0.07
	ग्रामीण विकास	18	आदर्श ग्राम योजना	6	9.03
	ग्रामीण विकास	19	बी आर एफ जी, आइ ए पी, विद्युतीकरण	6	41.48
	ग्रामीण विकास	20	जिला परिषद् को वेतन	1	0.09
कुल (घ)				14	50.67
आकस्मिक प्रकृति	ग्रामीण विकास	21	पंचायत चुनाव	3	2.22

परिशिष्ट - 3.2 क्रमशः...

के व्यय	गृह	22	विभिन्न पुलिस थानों को स्थायी अग्रिम	2	0.08
	गृह	23	निर्वाचन कार्य	2	0.14
	गृह	24	बाजार समिति में सी आर पी एफ के ठहराव हेतु किराया व्यय	1	0.01
	गृह	25	दूरभाष विपत्र एवं वाहन तेल व्यय	3	0.04
कुल (ड.)				11	2.49
कुल योग				245	1170.16

मानव संसाधन विकास: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा एन.आर.ई.पी.(विशेष शाखा)

* कस्तुरबा गाँधी बालमैत्री विद्यालय (के.जी.बी.भी.) तथा प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा(एन पी ई जी ई एल)

परिशिष्ट- 3.3
आवंटन को व्यपगत होने से बचने के लिए निधि का आहरण
(संदर्भ: कडिका 3.5; पृष्ठ 54)

आहरण एवं संचितरण अधिकारियों का नाम	उद्देश्य	विपत्र संख्या	आहरण की तिथि	राशि	आ. एवं सं. अ. द्वारा संचितरण		आ. एवं सं. अ. के पास शेष राशि	संचितरित राशि में से क्रियान्वयन अभिकरण (क्रि.अ.) द्वारा वापस की गई राशि	क्रि.अ. द्वारा प्राप्त राशि में से अनुपयोगित राशि	(₹ लाख में)	क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा न्यून उपयोगिताओं के कारण
					तिथि	राशि					
जि. शि. अ., धनबाद	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूलभूत ढाँचा के सुदृढीकरण एवं विकास के लिए भवन निर्माण	78/09-10	31.03.10	13.50	मई 10 से जुलाई 10	13.50	शून्य				जमीन की अनुपलब्धता एवं ग्रा. शि. स. द्वारा पुराने आकलित दर पर वर्ग कक्ष का निर्माण से इन्कार
		76/09-10	31.03.10	423.00	मई 10 से जुलाई 10	229.50	193.50	76.50	67.50		
		77/09-10	31.03.10	157.50	मई 10 से जुलाई 10	157.50	शून्य				
जि.शि. अ., धनबाद	मध्याह्न भोजन के तहत भंडार सह किचन शेड का निर्माण	119/11-12	31.03.12	193.20	जून 12	190.80	2.40				कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।
जि. शि. अ., पलामू	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूलभूत ढाँचा के सुदृढीकरण एवं विकास के लिए भवन निर्माण	276/09-10	03.03.10	13.35	अप्रैल 10 एवं मई 10	13.35	शून्य				जमीन की अनुपलब्धता एवं बढ़ती मूल्य इत्यादि के कारण
		277/09-10	31.03.10	445.00	अप्रैल 10 एवं मई 10	445.00	शून्य	4.45	151.30		
जि. शि. अ., गोड्डा	मध्याह्न भोजन	88/11-12	31.03.12	118.44	संचितरित नहीं की गई	शून्य	118.44				जि. शि. अ. धी. द्वारा सम्पूर्ण राशि बैंक खातों में रखी गया।
	मध्याह्न भोजन के तहत भंडार सह किचन शेड का निर्माण	86/11-12	31.03.12	51.78	संचितरित नहीं की गई	शून्य	51.78				
	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए पुरस्कार	83/11-12	29.03.12	0.55	संचितरित नहीं की गई	शून्य	0.55				
	शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु परिसंवाद एवं शिक्षा गोष्ठी	81/11-12	29.03.12	1.00	संचितरित नहीं की गई	शून्य	1.00				
कुल				1417.32		1049.65	367.67	80.95	218.80		

परिशिष्ट- 3.4
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र से निधियों के आहरण की पुनरावृत्ति
(संदर्भ: कडिका 3.6; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	विपत्र आहरण की अवधि	आहरित विपत्र की संख्या	राशि
अ. मानव संसाधन विकास विभाग				
1	जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद	31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2012	12	2124.71
2	जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा	12 दिसम्बर 2009 से 31 मार्च 2012	12	1019.26
3	जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा	30 मार्च 2010 से 03 मार्च 2011	7	469.41
4	जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू	03 मार्च 2010 से 31 मार्च 2011	5	1985.13
5	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राँची	02 अक्टूबर 2011 से 12 मार्च 2012	10	61900.00
6	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राँची	13 अक्टूबर 2009 से 31 मार्च 2012	4	2507.00
	कुल(अ)		50	70005.51
ब. गृह विभाग				
1	पुलिस उपाधीक्षक, लोहरदगा	24 नवम्बर 2009 से 22 नवम्बर 2011	9	113.11
2	पुलिस उपाधीक्षक, राँची	12 नवम्बर 2009 से 04 नवम्बर 2011	10	66.28
3	आकलन अधिकारी, आर.डी.एस., सरायकेला	23 फरवरी 2010 से 05 मार्च 2010	2	99.61
4	महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण एवं प्रावधानिकीकरण, राँची	06 फरवरी 2010 से 14 मार्च 2012	15	27495.73
5	अधीक्षक, मंडल कारा, गढ़वा	06 मार्च 2010 से अक्टूबर 2011	10	187.30
6	अधीक्षक, एल.एन.जे.पी.एन., केन्द्रीय कारा, हजारीबाग	31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2012	7	581.80
7	अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा	25 जनवरी 2010 से 19 मार्च 2012	27	310.01
8	अधीक्षक, बी.एम.सी.जे., राँची	14 मार्च 2010 से 31 मार्च 2012	16	174.03
9	अधीक्षक, मंडल कारा, चाईबासा	26 फरवरी 2010 से 27 दिसम्बर 2011	12	1417.48
	कुल (ब)		108	30445.35
स. ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी.(विशेष प्रमंडल) विभाग				
1	उपायुक्त, चतरा	30 मार्च 2010 से 30 मार्च 2011	2	398.08
2	उप-विकास आयुक्त, दुमका	28 मार्च 2011 से 01 मार्च 2012	9	1600.00
3	उप-विकास आयुक्त, गुमला	13 मार्च 2010 से 17 मार्च 2012	13	1800.00

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 3.4 क्रमशः...

4	उप-विकास आयुक्त, हजारीबाग	31 मार्च 2010 से 31 दिसम्बर 2011	9	2304.00
5	उप-विकास आयुक्त, जमशेदपुर	09 मार्च 2010 से 31 मार्च 2011	7	1344.00
6	उप-विकास आयुक्त, राँची	01 अक्टूबर 2010 से 29 नवम्बर 2011	11	1642.00
7	उपायुक्त, राँची	03 मार्च 2011 से 29 मार्च 2012	9	128.27
8	उप-विकास आयुक्त, चाईबासा	11 फरवरी 2010 से 04 फरवरी 2012	5	1286.52
कुल(स)			65	10502.87
सकल योग(अ+ब+स)			223	110953.73

परिशिष्ट- 3.5
झा.पु.आ.नि.सि. द्वारा बचत खाते में रखी गई निधियाँ
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)					
क्रम सं.	निधियाँ जिसके द्वारा हस्तांतरित की गई	उद्देश्य	बैंक का नाम जिसमें राशि रखी गई	बैंक में जमा करने की तारीख	राशि
1	महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण एवं प्रावधानिकीकरण)	पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा में एल.एस/यू.एस. क्वार्टरों और पुलिस लाइन का निर्माण	पंजाब नेशनल बैंक, राँची	16.03.2012	20.00
		पी.टी.सी., हजारीबाग में विभिन्न कार्य	भारतीय स्टेट बैंक, हटिया	15.02.2010	2.00
		लातेहार, लोहरदगा, गिरिडीह तथा कोडरमा में पुलिस लाइन का निर्माण	-वही-	15.02.2010	8.00
		गृह रक्षा वाहिनी(फेज 1) के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	-वही-	15.02.2010	0.55
		गृह रक्षा वाहिनी(फेज 1) के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	-वही-	15.02.2010	0.15
		केन्द्रीय पुलिस अस्पताल में प्रशिक्षण के लिये मूलभूत सुविधाओं नये थाना भवन में एल.एस/यू.एस. क्वार्टरों का निर्माण	-वही-	15.02.2010	7.65
		-वही-	-वही-	15.02.2010	7.25
		एल.एस/यू.एस. क्वार्टरों का निर्माण	-वही-	25.02.2010	10.00
		-वही-	-वही-	25.02.2010	10.00
	कुल				65.60
2	पुलिस अधीक्षक, खूँटी	खूँटी जिला में कोबरा कैम्प के लिये दो इकाई पोर्टेबल हट्स का निर्माण	पंजाब नेशनल बैंक, राँची	11/2010	1.09
सकल कुल					66.69

परिशिष्ट- 4.1
(संदर्भ कंडिका 4.1 पृष्ठ 57)

31 मार्च 2012 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

विभाग	वर्ष 2010-11 तक (2009-10 तक अनुमोदित की जी.आई.ए.)		2011-12 के दौरान (2010-11 तक अनुमोदित जी.आई.ए.)		बकाया उ.प्र.प. की संख्या	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
उद्योग	441	1057.45	49	561.92	490	1619.37
मानव संसाधन	277	1127.20	49	120.34	326	1247.54
सहकारिता	63	139.42	63	123.01	126	262.43
पशुपालन	65	21.70	8	7.97	73	29.67
स्वास्थ्य	9	76.55	3	50.67	12	127.22
कल्याण	96	84.16	32	100.28	128	184.44
कृषि	61	50.56	4	8.70	65	59.26
भू-राजस्व	2	0.63	0	0.00	2	0.63
शहरी विकास	2808	700.78	837	235.46	3645	936.24
अन्य	486	1227.26	379	1241.98	865	2469.24
कुल	4308	4485.71	1424	2450.33	5732	6936.04

परिशिष्ट- 4.2
(संदर्भ कंडिका 4.2.1 पृष्ठ 58)

सी.ए.जी. डी.पी.सी. अधिनियम के अनुच्छेद 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित किये गये इकाईयों की सूची

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	लेखापरीक्षा की अवधि	तिथि से बकाया लेखा
1	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति(रा.खे.आ.स.), मोराबादी, रॉंची	रॉंची	वार्षिक	2009-10
2	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	बोकारो	वार्षिक	2006-07
3	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	चाईबासा	वार्षिक	2011-12
4	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	चतरा	वार्षिक	2006-07
5	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	झालटेनगंज	वार्षिक	2011-12
6	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	देवघर	वार्षिक	2010-11
7	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	धनबाद	वार्षिक	2006-07
8	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	दुमका	वार्षिक	2008-09
9	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	गढ़वा	वार्षिक	2006-07
10	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	गोड्डा	वार्षिक	2011-12
11	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	गुमला	वार्षिक	2006-07
12	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	हजारीबाग	वार्षिक	2007-08
13	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	जमशेदपुर	वार्षिक	2011-12
14	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	जामताड़ा	वार्षिक	2006-07
15	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	खूंटी	वार्षिक	2006-07
16	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	कोडरमा	वार्षिक	2006-07
17	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	लातेहार	वार्षिक	2006-07
18	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	लोहरदगा	वार्षिक	2011-12
19	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	पाकुड़	वार्षिक	2008-09
20	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	रामगढ़	वार्षिक	2011-12
21	मानव संसाधन विकास	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, परिषद्	रॉंची	वार्षिक	2007-08
22	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	रॉंची	वार्षिक	2006-07
23	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	साहेबगंज	वार्षिक	2006-07
24	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	सरायकेला	वार्षिक	2006-07
25	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	सिमडेगा	वार्षिक	2009-10
26	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	गिरिडीह	वार्षिक	2006-07
27	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	बोकारो	वार्षिक	2008-09
28	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	चतरा	वार्षिक	2008-09
29	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	देवघर	वार्षिक	2011-12
30	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	धनबाद	वार्षिक	2011-12
31	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	दुमका	वार्षिक	2011-12
32	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पूर्वी सिंहभूम	वार्षिक	2011-12
33	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गढ़वा	वार्षिक	2008-09
34	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गिरिडीह	वार्षिक	2011-12
35	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गोड्डा	वार्षिक	2008-09

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 4.2 क्रमशः...

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	लेखापरीक्षा की अवधि	तिथि से बकाया लेखा
36	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गुमला	वार्षिक	2011-12
37	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	हजारीबाग	वार्षिक	2008-09
38	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	जामताड़ा	वार्षिक	2008-09
39	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	खूँटी	वार्षिक	2008-09
40	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	कोडरमा	वार्षिक	2008-09
41	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लातेहार	वार्षिक	2008-09
42	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लोहरदगा	वार्षिक	शून्य*
43	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पाकुड़	वार्षिक	2008-09
44	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पलामू	वार्षिक	2008-09
45	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	राँची	वार्षिक	2009-10
47	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, राँची	राँची	वार्षिक	2011-12
48	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सरायकेला-खरसावाँ	वार्षिक	2008-09
49	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सिमडेगा	वार्षिक	2008-09
50	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पश्चिमी सिंहभूम	वार्षिक	2008-09
51	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	प्राचार्य, रिनपास, काँके	राँची	वार्षिक	2006-07
52	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	झारखण्ड एड्स नियंत्रण समिति, राँची	राँची	वार्षिक	2001-02
53	कल्याण	निदेशक, भारत सेवा श्रम संघ, घाटशिला	पूर्वी सिंहभूम	वार्षिक	2011-12
54	कल्याण	निदेशक, भारत सेवा श्रम संघ, सोनारी	जमशेदपुर	वार्षिक	2007-08
55	कल्याण	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सेनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	वार्षिक	2006-07
56	कल्याण	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	वार्षिक	2009-10
57	कल्याण	झारखण्ड महिला समाख्या समिति(जे.एम.एस.एस.), कडरू, राँची	राँची	वार्षिक	2006-07
58	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान	राँची	वार्षिक	शून्य*

परिशिष्ट - 4.2 क्रमशः...

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	लेखापरीक्षा की अवधि	तिथि से बकाया लेखा
59	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	बोकारो	वार्षिक	शून्य*
60	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	चतरा	वार्षिक	2010-11
61	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	देवघर	वार्षिक	2009-10
62	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	धनबाद	वार्षिक	शून्य*
63	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	दुमका	वार्षिक	2010-11
64	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	वार्षिक	2011-12
65	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	वार्षिक	2011-12
66	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	वार्षिक	शून्य*
67	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	वार्षिक	2008-09
68	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गुमला	वार्षिक	2010-11
69	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	वार्षिक	2008-09
70	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	वार्षिक	2011-12
71	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	वार्षिक	शून्य*
72	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	वार्षिक	शून्य*
73	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	पलामू	वार्षिक	2010-11
74	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	राँची	वार्षिक	2005-06
75	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	वार्षिक	2005-06
76	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	वार्षिक	2009-10
77	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	वार्षिक	2011-12
78	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	वार्षिक	शून्य*
79	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	वार्षिक	2010-11
80	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	लातेहार	वार्षिक	2010-11
81	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	वार्षिक	2010-11
82	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	खूंटी	वार्षिक	2007-08

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड के कार्यालय में धारित स्थाई लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

*2011-12 तक सौंपे गये लेखे

परिशिष्ट- 4.3
हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के मामलों का विभागवार ब्यौरा
(संदर्भ कंडिका 4.3. पृष्ठ 59)

क्र.सं.	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	ग्रामीण विकास विभाग	2	0	2	21.90
2	मत्स्य	2	0	2	14.24
3	उद्योग विभाग	1	0	1	1.21
4	योजना एवं विकास विभाग	1	0	1	4.58
	कुल	6	0	6	41.93

परिशिष्ट -5.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (x)	प्राचल की वृद्धि दर (x)/प्राचल की वृद्धि दर (y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि} / \text{गत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्रप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय।
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिस्मनी की प्रचूरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो घनात्मक हो या औसत रूप से ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण -स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रयाप्ता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने सक्षम हो ।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 5.1 क्रमशः...

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायो	स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं सांविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखलन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के बचन बद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिसपर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मण्डल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई है एवं समय-समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मण्डल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृष्ट व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋणदाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है जिसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5 वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।

परिशिष्ट - 5.1 क्रमशः...

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगो से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्रहित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक ईकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के ईकाई में निधियों के स्थानांतरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115 (1) के उपबन्धों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचन्त लेखा, क्षेत्र में उचन्त एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मागदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचन्त लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानांतरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मण्डल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई.	समस्त व्यय
बी. ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नीतिगत बयान
ओ.एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस.एण्ड डब्ल्यू.	वेतन और मजदूरियाँ
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर